राजद्रोह कानून- अदालतों ने क्या कहा

लेखक - सदफ मोदक (संपादक)

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-II (शासन व्यवस्था) से संबंधित है।

इंडियन एक्सप्रेस

07 फरवरी, 2020

"शरजील इमाम के बाद, मुंबई के छात्र पर शारजील के समर्थन में नारे लगाने के आरोप में देशद्रोह का मामला दर्ज किया गया है। इस आलेख में हम जानेंगे कि आईपीसी की धारा 124 ए की वैधता और प्रयोज्यता के बारे में अदालतों और महाराष्ट्र सरकार की राय क्या है।"

बुधवार को मुंबई की एक सत्र अदालत ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 124 A (राजद्रोह) के तहत् 22 वर्षीय छात्र (50 अन्य लोगों के साथ) की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया। देशद्रोह का आरोप उन नारों के आधार पर दायर किया गया था, जिसे छात्रों ने एक ऐसे दूसरे छात्र के पक्ष में कहे थे, जिनके खिलाफ पहले से ही देशद्रोह का मुकदमा दर्ज है। अदालत ने कहा कि नारा ''राजद्रोह के तत्वों को आकर्षित करता है।''

राजद्रोह कानून

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में मुंबई पुलिस ने जेएनयू के छात्र शरजील इमाम के समर्थन में नारे लगाने पर 51 लोगों के खिलाफ राजद्रोह का केस दर्ज किया है।
- इन सभी पर भारतीय दंड संहिता की धारा 124 A के तहत् देशद्रोह के आरोप लगाये गये हैं।
- इससे पूर्व देश विरोधी बयान देने के आरोप में जेएनयू छात्र शरजील इमाम को गिरफ्तार किया गया था।

राजद्रोह कानूनः आधार और तर्क

3 फरवरी को आजाद मैदान पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर में दावा किया गया है कि उर्वशी चुडावाला एलजीबीक्यू सॉलिडैरिटी गैदरिंग में 1 फरवरी को "शारजील तेरे सपनों को हम मंजिल तक पहुँचाएंगे" के नारे लगाती हुई नजर आ रही हैं। विदित हो कि जेएनयू के छात्र शारजील इमाम पर देशद्रोह और सीएए के खिलाफ भाषण देने के लिए मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें इन्होंने सड़कों और रेलवे पटरियों को अवरुद्ध करके "भारत से पूर्वोत्तर को काटने" के बारे में भाषण दिया था।

चुडावाला के वकील विजय हिरेमथ ने तर्क दिया है कि ''नारेबाजी के जोश-जोश में'', कुछ नामों का उल्लेख कर दिया गया था। उन्होंने कहा कि इमाम का नाम केवल एक बार, ''दो सेकंड के लिए'' कहा गया था। "यह इमाम की गिरफ्तारी के खिलाफ था, जिस पर अभी तक राजद्रोह साबित नहीं हुआ है। इसलिए यह कहना कि उसकी गिरफ्तारी गलत है, देशद्रोह नहीं माना जा सकता। हिरमथ ने कहा, "हम उर्वशी द्वारा कहे गये बातों से असहमत हो सकते हैं, लेकिन यह कहीं से भी राजद्रोह के तत्वों को आकर्षित नहीं करता है।

दूसरी ओर, मुख्य सरकारी वकील जयसिंह देसाई ने कहा कि यह नारा "उस व्यक्ति के समर्थन में है जो देश का दुश्मन है। उन्होंने कहा कि पुलिस ने यह भी पाया कि चुडावाला ने एक फेसबुक पोस्ट साझा किया था और उसे लाइक भी किया था जिसमें कहा गया था कि ''शारजील इमाम को रिहा करो।

अदालत ने अर्जी खारिज करते हुए कहा कि चुडावाला के खिलाफ दर्ज अपराध 'गंभीर' है और मामले की जड़ तक पहुँचने के लिए उससे हिरासत में पूछताछ आवश्यक है। हिरेमथ ने बॉम्बे हाईकोर्ट में सत्र न्यायालय के आदेश के खिलाफ अपील दायर की है।

राजद्रोह कानून और उसकी वैधता

आईपीसी की धारा 124 A में कहा गया है कि "बोल कर या लिखे गए शब्दों या संकेतों द्वारा या दृश्य प्रस्तुति द्वारा, जो कोई भी भारत में विधि द्वारा स्थापित सरकार के प्रति घृणा या अवमान पैदा करेगा या पैदा करने का प्रयत्न करेगा, असंतोष (Disaffection) उत्पन्न करेगा या करने का प्रयत्न करेगा, उसे आजीवन कारावास या तीन वर्ष तक की कैद और जुर्माना अथवा सभी से दंडित किया जाएगा।

विशिष्ट मामलों में धारा 124 A को विभिन्न अदालतों में चुनौती दी गई है। प्रावधान की वैधता को 1962 में केदारनाथ सिंह बनाम बिहार राज्य मामले में एक संविधान पीठ द्वारा बरकरार रखा गया था।

क्या यह निर्णय इस मुद्दे पर लिया गया कि देशद्रोह पर कानून अनुच्छेद 19 (1) (क) के तहत् मौलिक अधिकार के अनुरूप है जो प्रत्येक नागरिक को बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। इसके बाद सर्वोच्च न्यायालय ने निधारित किया कि हर नागरिक को आलोचना या टिप्पणी के माध्यम से सरकार के बारे में कहने या लिखने का अधिकार है, जब तक कि वह कानून द्वारा स्थापित सरकार के खिलाफ या सार्वजनिक अव्यवस्था पैदा करने के इरादे से "लोगों को हिंसा के लिए उकसाता" नहीं है।

वर्तमान मुंबई मामलें में चुडावाला के वकील ने कहा कि इनके द्वारा दिया गया भाषण हिंसा को भड़काने या सार्वजनिक अव्यवस्था पैदा करने के इरादे से नहीं दिया गया था।

महाराष्ट्र सर्कुलर

अपने तर्क के दौरान हिरेमथ ने 2015 में महाराष्ट्र सरकार द्वारा अपने पुलिस कर्मियों को देशद्रोह का आरोप लगाने से पहले जारी किए गए पूर्व शर्त का भी हवाला दिया। हिरेमथ ने दावा किया कि चुडावाला पर देशद्रोह का आरोप लगाते समय पुलिस ने इन सब चीजों का पालन नहीं किया। हालाँकि, इस दलील को अदालत द्वारा स्वीकार नहीं किया गया है।

2015 का सर्कुलर बॉम्बे हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान आया था, जब कार्टूनिस्ट असीम त्रिवेदी पर राजद्रोह का मुकदमा दर्ज किया गया था। त्रिवेदी को 2012 में अन्ना हजारे द्वारा भ्रष्टाचार विरोधी प्रदर्शनों के दौरान कार्टून बनाने के लिए गिरफ्तार किया गया था, जिसमें उन पर राजद्रोह सहित यह आरोप लगाए गए थे कि इन्होनें ने अपने कार्टून के माध्यम से संसद और संविधान की गरिमा को ठेस पहुँचाया है। हालाँकि, देशद्रोह का आरोप बाद में पुलिस द्वारा हटा दिया गया था।

हाईकोर्ट ने क्या कहा

2015 में उच्च न्यायालय ने केदारनाथ के फैसले का उल्लेख किया और कहा कि धारा 124 A के आह्वान के लिए मापदंडों को निर्धारित करने की आवश्यकता है। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद तीन लोगों द्वारा नारे लगाने के संबंध में केदारनाथ फैसले के अलावा, उच्च न्यायालय ने पांच अन्य फैसलों का उल्लेख किया, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय का फैसला (बलवंत सिंह बनाम पंजाब राज्य) शामिल था। सर्वोच्च न्यायालय ने तब फैसला सुनाया था कि "केवल दो व्यक्तियों द्वारा एक या दो बार नारे लगाने को सरकार के खिलाफ घृणा या असहमति को उकसाने वाले भाषण के रूप में नहीं समझा जा सकता।"

अदालत ने कहा, "यह स्पष्ट है कि आईपीसी की धारा 124 A के प्रावधानों को किसी व्यक्ति द्वारा सरकार के खिलाफ बोलने पर या अस्वीकृति व्यक्त करने के लिए लागू नहीं किया जा सकता है।"

आईपीसी की धारा 124 A

- आईपीसी की धारा 124 A कहती है कि यदि कोई भी व्यक्ति भारत की सरकार के विरोध में सार्वजनिक रूप से ऐसी किसी गतिविधि को अंजाम देता है जिससे देश के सामने सुरक्षा का संकट पैदा हो सकता है तो उसे उम्रकैद तक की सजा दी जा सकती है। इन गतिविधियों का समर्थन करने या प्रचार-प्रसार करने पर भी किसी को देशद्रोह का आरोपी मान लिया जाएगा।
- साथ ही यदि कोई व्यक्ति सरकार-विरोधी सामग्री लिखता या बोलता है, ऐसी सामग्री का समर्थन करता है, राष्ट्रीय चिन्हों का अपमान करने के साथ संविधान को नीचा दिखाने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 124 ए में राजद्रोह का मामला दर्ज हो सकता है। इन गतिविधियों में लेख लिखना, पोस्टर बनाना, कार्टून बनाना जैसे काम भी शामिल होते हैं।
- इस कानून के अंतर्गत दोषी पाए जाने पर दोषी को 3 साल से लेकर उम्रकैद तक की सजा का प्रावधान है।
- लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि इन गतिविधियों से पैदा होने वाले खतरे को कैसे मापा जाएगा, इसको लेकर धारा 124ए स्पष्ट तौर पर कुछ भी नहीं बताती।

क्या है इस कानून का इतिहास

- 135 साल पहले अंग्रेजी हुकूमत ने इसे आईपीसी में शामिल किया था। सन 1837 में लॉर्ड टीबी मैकॉले की अध्यक्षता वाले पहले विधि आयोग ने भारतीय दंड संहिता तैयार की थी।
- सन 1870 में ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन ने सेक्शन 124-ए को आईपीसी के छठे अध्याय में जोड़ा। 19वीं और 20वीं सदी के प्रारम्भ में इसका इस्तेमाल ज्यादातर प्रमुख भारतीय राष्ट्रवादियों और स्वतंत्रता सेनानियों के लेखन और भाषणों के खिलाफ किया गया था।
- हालांकि 1962 में आया सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला धारा 124ए के दायरे को लेकर कई बातें साफ कर चुका है, लेकिन तब भी इस धारा को लेकर अंग्रेजों वाली जमाने की रीत का पालन ही किया जा रहा है।
- माना जाता है कि तब आईपीसी में देशद्रोह की सजा को शामिल करने का मकसद ही सरकार के खिलाफ बोलने वालों को सबक सिखाना था।
- 1870 में वजूद में आई यह धारा सबसे पहले तब चर्चा का विषय बनी जब 1908 में बाल गंगाधर तिलक को अपने एक लेख के लिए इसके तहत् छह साल की सजा सुनाई गई।
- तिलक ने अपने समाचार पत्र केसरी में एक लेख लिखा था जिसका शीर्षक था- देश का दुर्भाग्य। 1922 में अंग्रेजी सरकार ने महात्मा गांधी को भी धारा 124 ए के तहत् देशद्रोह का आरोपी बनाया था। उनका अपराध यह था कि उन्होंने अंग्रेजी राज के विरोध में एक अखबार में तीन लेख लिखे थे।
- तब गांधी जी ने भी इस धारा की आलोचना करते हुए इसे भारतीयों का दमन करने के लिए बनाई गई धारा कहा था।

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

प्र. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. भारतीय दंड संहिता (आई.पी.सी.) की धारा 124 'ए' राजद्रोह से संबंधित है।
2. नागरिकों को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(क) के तहत् सरकार की आलोचना करने का भी अधिकार है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों (d) इनमें से कोई नहीं।

Expected Questions (Prelims Exams)

Q. Consider the following statements.

1. Section 124 'A' of the Indian Penal Code (IPC) deals with sedition.
2. Citizens also have the right to criticize the government under article 19 (1) (a) of the Indian Constitution.

Which of the above statements is / are correct?

(a) Only 1 (b) Only 2

(c) Both 1 and 2 (d) None of these

नोट : 6 फरवरी को दिए गए प्रारंभिक परीक्षा (संभावित प्रश्न) का उत्तर 1 (b) होगा।

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

प्र. 'राजद्रोह कानून औपनिवेशिक कानून तो कहा जा सकता है, किंतु देश की एकता एवं अखंडता हेतु इसकी आवश्यकता से भी इंकार नहीं किया जा सकता है।' इस कथन का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

(250 शब्द)

'The sedition law can be called a colonial law, but its need for unity and integrity of the country cannot be denied.' Critically examine this statement. (250 words)

नोट :- अभ्यास के लिए दिया गया मुख्य परीक्षा का प्रश्न आगामी UPSC मुख्य परीक्षा को ध्यान में रख कर बनाया गया है। अतः इस प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए आप इस आलेख के साथ-साथ इस टॉपिक से संबंधित अन्य स्रोतों का भी सहयोग ले सकते हैं।

Committed to Excellence